

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
293 / 2023

दायर दिनांक
18.08.2023

निर्णय दिनांक
30.01.2024


उनवान

1. उदी पुत्री श्री काना भील जाति भील आयु वयस्क निवासी- कान्दा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. काली पुत्री श्री काना भील जाति भील आयु वयस्क निवासी कान्दा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. गौरी पुत्री श्री काना भील जाति भील आयु वयस्क निवासी कान्दा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. मांगू पुत्र श्री ईशर भील जाति भील आयु वयस्क निवासी कान्दा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. सोनाथ पुत्र श्री मांगू जाट आयु वयस्क निवासी कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. भैरू पुत्र श्री मांगू जाट आयु वयस्क निवासी- कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. श्रीमती अनोपी पत्नी स्व० देवा तेली आयु वयस्क निवासी- कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. नन्दराम पुत्र स्व० देवा तेली आयु वयस्क निवासी- कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. भंवर पुत्र श्री रूपा तेली आयु वयस्क निवासी कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. मांगी लाल पुत्र श्री रूपा तेली आयु वयस्क निवासी कांदा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. राजू लाल भील पुत्र श्री रतन लाल भील आयु वयस्क निवासी- सनोदिया तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. जमना लाल पुत्र श्री ऊंकार बलाई आयु वयस्क निवासी कान्दा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. भैरू लाल पुत्र श्री नारायण बलाई आयु वयस्क निवासी कान्दा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
10. श्रीमती सरजू पत्नी स्व० श्री नारायण बलाई आयु वयस्क निवासी- तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

4. नन्दराम पुत्र स्व० देवा तेली आयु वयस्क निवासी- कांदा तहसील एवं

11. श्रीमती कविता पत्नी श्री अशोक कुमार मीणा आयु वयस्क निवासी- सांगानेर कॉलोनी, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा (राज०)

—विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी मनीष कुमार कांटिया
अधिवक्ता नरेश कुमार मेघवंशी अप्रार्थी संख्या 09
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08, 10, 11 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही


—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कान्दा प०ह० कान्दा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 472 की अभिलिखित आराजियात 7, 8 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6323 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।


इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 09 का जवाब पेश नहीं करने से जवाब बंद किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08, 10, 11 के समन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08, 10, 11 के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा कान्दा प0ह0 कान्दा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074-2077 के खाता संख्या 472 की अभिलिखित आराजियात 7, 8 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6323 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपस्थित अभिलेखी
भीलवाडा